

राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर।

सेक्टर-11, कुम्भा मार्ग, प्रताप नगर, जयपुर -302033

दूरभाष : 0141-2795624, 634, ई-मेल - principalruhscms@gmail.com

क्रमांक : RUHS CMS/ Store/2017-18/3369

Dated - 27-06-2017

ई-निविदा सूचना

आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में किराये पर वाहन उपलब्ध कराने के कार्य लिए वार्षिक दर अनुबन्ध हेतु ई-निविदा।

Project	आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में विभिन्न कार्यों हेतु किराये पर वाहन उपलब्ध कराने के वार्षिक दर अनुबन्ध हेतु निविदा।
Mode of Bid Submission	Online through e-Procurement/ e-Tendering system at http://eproc.rajasthan.gov.in
Tendering Authority/ Purchaser	Principal, RUHS College of Medical Sciences, Sector - 11, Kumbha Marg, Pratap Nagar, Jaipur - 302033
Cost of Tender Document (non-refundable)	Rs. 1000/- (Rupees One Thousand Only)
RISL processing fee (non-refundable)	Rs. 500/- (Rupees Five Hundred Only)
Total Estimated Cost	Rs. 30,00,000.00 (Rupees Thirty Lacs Only)
Earnest Money Deposit (EMD)	2% of estimated cost (Rs 60,000.00)
Bid Download Start Date/ Time	03-07-2017 at 5.00 PM onwards
Pre-Bid Meeting Date/Time	10-07-2017 at 11.00 AM onwards
Bid submission Start Date/Time	15-07-2017 at 5.00 PM onwards
Bid submission End Date/ Time	01-08-2017 at 2.00 pm
Submission of Demand Draft for Tender Fee, EMD, and Processing Fee	01-08-2017 up to 02.00 pm
Technical Bid Opening Date/ Time	01-08-2017 at 03.00 pm
Financial Bid Opening Date/ Time	Will be intimated later to the Technically qualified bidders
Websites for downloading Tender Document, Corrigendum's, Addendums etc.	http://eproc.rajasthan.gov.in , www.sppp.raj.nic.in , www.ruhscms.org
* In case, any of the bidders fails to physically submit the Demand Draft for Tender Fee, EMD, and RISL processing fee up to 2.00 pm on 01-08-2017, its Bid shall not be accepted. For RISL processing fees Demand Draft should be drawn in favour of "Managing Director RajCOMP Info Services Ltd" payable at Jaipur and for Tender Fee & EMD should be drawn in favour "Principal, RUHS College of Medical Sciences, Jaipur" payable at Jaipur from any Scheduled Commercial Bank.	

1. A Pre-bid meeting will be held as per above schedule i.e. on dated 10-07-2017 at 11.00 A.M. in the conference hall of RUHS CMS, Jaipur to clarify and answer the queries on any matter related to this bid. It is made clear that any representation / complaint/ suggestions by bidder/ prospective bidder with regard to technical specifications or conditions of bid document shall be dealt with only when such representations are given during pre-bid meeting or upto 05-00 pm of same day of Pre-bid meeting. Representations/suggestions/complaint received after this time frame shall not be entertained and shall summarily be rejected.
2. If any amendment/ clarification is carried out in the technical specifications and bid terms & condition following pre-bid meeting or any other information, the same will also be uploaded on the RUHS CMS website <http://ruhscms.org> and <http://eproc.rajasthan.gov.in>, www.sppp.raj.nic.in and will not be published in any news papers. It will not be intimated to individual bidder.
3. The bid should be submitted through e-portal, after pre-bid meeting, including all the clarifications/ modifications/ amendments agreed & issued by RUHS CMS. The bid shall only be submitted through e-procurement portal <http://eproc.rajasthan.gov.in> of Govt. of Rajasthan. Bids shall not be accepted in physical form in any condition.
4. The bidding process shall be subject to the provisions of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act and Rules made there under.

Date:

Principal

राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर।

निविदा-फॉर्म

1. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में किराये पर वाहन उपलब्ध कराने के कार्य लिए वार्षिक दर अनुबन्ध हेतु निविदा।
2. निविदा प्रस्तुत करने वाली वाली फर्म का नाम व :
डाक का पता
3. किसको सम्बोधित की गई : प्रधानाचार्य,
राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय
सेक्टर-11, कुम्भा मार्ग, प्रताप नगर, जयपुर-302033
दुरभाष : 0141-2795624, 634
4. संदर्भ : RUHS CMS/ Store/2017-18/3369 Date – 27-06-2017
5. निविदा शुल्क की राशि रु. 1000/- डी.डी.दिनांक..... के द्वारा जमा कर दी गई है।
6. हम महाविद्यालय द्वारा जारी की गई निविदा सूचना संख्या दिनांक में वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न शीट (इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किए जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं) में दी गई उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं।
7. निम्नलिखित मदों के प्रदाय के लिए दरें निम्न प्रकार होगी तथा प्रदाय की जाने वाली सेवा की मात्रा उनके प्रत्येक के सामने अंकित की गई है:-

क्र. सं.	वस्तु का नाम मय विनिर्देशों के	दर	मात्रा	शुद्ध मूल्य
1	2	3	4	5

“ संलग्न अनुसूची 'जी' के अनुसार” / वित्तीय निविदा प्रपत्रानुसार

- किसी भी छूट अर्थात मात्रात्मक छूट का भी विस्तार से उल्लेख किया जावे।
8. फर्म द्वारा आदेश प्राप्त करने की दिनांक से आदेश में वर्णित आपूर्ति अवधि के भीतर सेवा की सुपुर्दगी कर दी जायेगी।
 9. ऊपर उद्धृत की गयी दरें एक वर्ष तक के लिए विधिमान्य हैं। इस अवधि को पारम्परिक सहमति के आधार पर एक वर्ष तक बढ़ाया भी जा सकेगा।
 10. बोली प्रतिभूति राशि के पेटे बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक संख्या जो(बैंक का नाम) आहरित किया गया है, संलग्न है।
 11. इसके साथ नियमानुसार टैक्स पंजीयन एवं टैक्स चूकती प्रमाण-पत्र प्रस्तुत है। (यदि लागू हो तो)
 12. अनुभव प्रमाण पत्र भी संलग्न है।

संलग्न :

(निविदादाता के हस्ताक्षर मोहर सहित)

निविदा की विशिष्ट शर्तें

1. महाविद्यालय में विभिन्न कार्यों हेतु किराये पर वाहन उपलब्ध कराने के कार्य के वार्षिक दर अनुबन्ध हेतु निविदादाताओं से ऑनलाईन निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं। ऑनलाईन निविदा प्रस्तुत की अंतिम तिथि 01.08.2017 को अपराह्न 02.00 बजे तक निर्धारित की गई है। उक्त समयावधि के पश्चात् ई-पोर्टल की वेबसाईट पर ऑनलाईन निविदा प्रस्तुत करने हेतु लिंक स्वतः ही निष्क्रिय हो जायेगा। ऑनलाईन प्राप्त निविदायें दिनांक 01.08.2017 को ही मध्याह्न 03.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं/अधिकृत प्रतिनिधियों के सम्मुख ऑनलाईन खोली जायेगी।
2. निविदा हेतु निर्धारित बोली प्रतिभूति (ईएमडी) राशि रू० 60000/-, निविदा शुल्क राशि रू० 1000/- एवं RISL प्रोसेसिंग फीस राशि रू० 500/- निर्धारित की गई है। बोली प्रतिभूति/अमानत राशि एवं निविदा शुल्क Principal, RUHS College of Medical Sciences, Jaipur के पक्ष में देय डिमान्ड ड्राफ्ट एवं RISL प्रोसेसिंग फीस "Managing Director RajCOMP Info Services Ltd" payable at Jaipur के पक्ष में देय डिमान्ड ड्राफ्ट के रूप में ही स्वीकार्य हैं जो कि दिनांक 01.08.2017 को अपराह्न 02.00 बजे तक आवश्यक रूप से प्राप्त हो जाने चाहिए। यदि किसी निविदादाता फर्म द्वारा उक्त समयावधि तक निर्धारित शुल्कों के डिमान्ड ड्राफ्ट केन्द्रीय भण्डार शाखा कार्यालय में जमा नहीं कराये जाते हैं तो उक्त फर्म द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
3. महाविद्यालय में विभिन्न कार्यों हेतु किराये पर वाहन उपलब्ध कराने के कार्य के वार्षिक दर अनुबन्ध हेतु केवल ऑनलाईन निविदाएँ ही स्वीकार की जावेंगी। निविदा प्रपत्र महाविद्यालय की वेबसाईट www.ruhsCMS.org, ई-निविदा पोर्टल की वेबसाईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> एवं एस.पी.पी.पी. की वेबसाईट www.sppp.raj.nic.in से download किया जा सकता है।
4. ऑनलाईन निविदाएं 'दो कवर प्रणाली द्वारा' आमंत्रित की जा रही हैं। इस हेतु निविदादाता फर्म द्वारा तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा ऑनलाईन प्रस्तुत की जावेगी। निविदा खोलने वाला प्राधिकारी निविदा दस्तावेज में विनिर्दिष्ट मानदण्ड के आधार पर निविदाकार की क्षमता का मूल्यांकन करेगा और इस आधार पर योग्य निविदाकारों की सूची तैयार करेगा। 'वित्तीय निविदा' केवल उन्हीं निविदाकारों की ऑनलाईन खोली जावेगी जो निविदा निष्पादित करने योग्य पाये जायेंगे।
6. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 46 के अनुसार निविदा प्रपत्र एवं शर्तों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु प्री-बिड बैठक का आयोजन दिनांक 10.07.2017 को प्रातः 11.00 किया जावेगा।
7. निविदाएं अनुसूची वित्तीय निविदा में वर्णित वाहनों के संबंध में ही होनी चाहिये। प्रत्येक श्रेणी में अनुबन्धित किये जाने वाले वाहन 2013 मॉडल से पूर्व के नहीं होने चाहिए।
8. निविदा का आधार टैक्सी के रूप में पंजीकृत वाहन मय वाहन चालक की सेवा होगा। मासिक आधार पर अनुबन्धित किये जाने वाले वाहनों की न्यूनतम संख्या 05 या अधिक होगी, जिनमें महाविद्यालय आवश्यकतानुसार किसी भी सीमा तक कमी/वृद्धि की जा सकेगी।
9. सफल निविदादाता को रू० 1000/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर लिखित अनुबंध निष्पादित करना होगा तथा अनुमोदित दर की 5 प्रतिशत राशि Security Amount (कार्य सम्पादन प्रतिभूति) के रूप में जमा करानी होगी।
10. महाविद्यालय के छात्रों को प्रतिदिन महाविद्यालय से संगठक अस्पताल राजकीय जयपुरिया अस्पताल ले जाने एवं वापस लाने हेतु एवं प्रधानाचार्य कार्यालय हेतु वाहनों की आवश्यकता होगी। इसके

अतिरिक्त अन्य कार्यो हेतु भी यदि बस अथवा कार की आवश्यकता होती है तो वह भी इसी निविदा / अनुबन्ध के आधार पर कार्यादेश दिया जावेगा।

11. सफल निविदादाता फर्म द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली बसों पर महाविद्यालय का नाम मय लोगो आवश्यक रूप से अंकित किया जावेगा।
12. साधारणतः अनुबन्धित मासिक वाहन कार्य दिवस में प्रातः 08.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक कार्य करेगें, एवं अनुबन्धित वाहन कारें आदि प्रातः 09.00 बजे से 06.00 बजे तक उपलब्ध कराये जावेंगे। अपरिहार्य परिस्थितियों में वाहन निर्धारित समय के पूर्व/पश्चात भी बुलाया/रोका जा सकता है। आवश्यकता होने पर अवकाश के दिनों में भी बुलाया जा सकता है। जिसे अनुबन्धित फर्म द्वारा उपलब्ध कराना होगा।
13. वाहन के उपस्थित नहीं होने, वाहन चालक के अनुपस्थित रहने, वाहन के खराब/दुर्घटना ग्रस्त होने आदि दशाओं में, निविदादाता द्वारा तत्काल अन्य वाहन/वाहन चालक की व्यवस्था करनी होगी। निविदादाता के वाहन/वाहन चालक की वैकल्पिक व्यवस्था करने में असमर्थ रहने पर महाविद्यालय द्वारा स्वयं ऐसी व्यवस्था निविदादाता की रिस्क एवं कोस्ट पर कर ली जायेगी, जिसकी प्रतिपूर्ति निविदादाता को करनी होगी। साथ ही उक्त के अलावा फर्म पर रू. 1000/- की शास्ति प्रति वाहन प्रतिदिन अधिरोपित भी की जावेगी।
14. वाहन के सभी दस्तावेज बीमा, रजिस्ट्रेशन, प्रदूषण, वाहन चालक का लाईसेंस या अन्य कानूनी प्रलेख वाहन के साथ एवं महाविद्यालय केन्द्रीय भण्डार शाखा में उपलब्ध होने चाहियें, इनके अभाव में उत्पन्न होने वाला व्यय भार निविदादाता द्वारा ही वहन किया जावेगा। इन प्रलेखों को तैयार कराने का व्ययभार भी अनुबन्धकर्ता को वहन करना पडेगा। उक्त के अभाव में परिवहन विभाग द्वारा महाविद्यालय कार्य के दौरान वाहन को रोकने/बंद करने की स्थिति में फर्म पर रू. 1000/- की शास्ति प्रति वाहन प्रतिदिन अधिरोपित की जावेगी।
15. महाविद्यालय को अनुबन्धित वाहन से कोई भी असुविधा होने पर उसकी जिम्मेदारी सेवा प्रदाता की होगी। असुविधा होने पर किया गया व्यय बिल में से काटा जावेगा।
16. वाहन की लॉग बुक वाहन चालक के पास रहेगी तथा संबंधित अधिकारी से प्रतिदिन लॉग बुक में प्रविष्टियाँ दर्ज करानी होगी। वाहन उपयोगकर्ता अधिकारी की सत्यापित लॉगबुक की प्रति बिल के साथ प्रत्येक माह की 5 तारीख तक लेखा शाखा में प्रस्तुत करना होगा।
17. वाहन के क्षतिग्रस्त/दुर्घटनाग्रस्त होने की दशा में उसका सम्पूर्ण दायित्व निविदादाता का होगा, इसके लिये महाविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा। किसी भी न्यायिक/श्रम नियम/अन्य नियम की पालना का उत्तरदायित्व भी वाहन मालिक का होगा।
18. डीजल, पेट्रोल, ऑयल, मरम्मत एवं चालक आदि समस्त व्यय स्वयं सेवाप्रदाता फर्म को वहन करना होगा।
19. अनुबन्धित वाहन की सर्विस/मरम्मत पर जाने पर फर्म द्वारा दूसरा वाहन उपलब्ध कराना होगा, जो अनुबन्धित वाहन के समान अथवा बेहतर होगा।
20. वाहन में लगा मीटर सील किया होना आवश्यक हैं जो कि बिना किसी अधिकृत अधिकारी की अनुमति के नहीं खोला जावेगा। इसमें किसी प्रकार की हेराफेरी करने की दशा में किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जायेगा, साथ में सेवाप्रदाता के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी।
21. अनुबन्धित वाहन/वाहनों को राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्देशित कार्य के अतिरिक्त किसी भी अन्य कार्य के लिये उपयोग में नहीं लिया जा सकेगा।
22. महाविद्यालय बिना कारण बताये सेवाप्रदाता को 15 दिवस का नोटिस देकर अनुबन्धित वाहन को हटा सकता हैं।
23. यह अनुबन्ध, अनुबन्ध निष्पादित की तिथी से एक वर्ष की अवधि के लिये मान्य होगा, जिसे दोनो पक्षों की आपसी सहमति से आगामी एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा।

24. टोल-टैक्स व पार्किंग स्थल का शुल्क प्रथमतः अनुबंधकर्ता द्वारा वहन किया जावेगा तथा अनुबंधकर्ता ऐसे वाहनो के किराया बिलों के साथ उक्त देय भुगतानों की रसीद प्रस्तुत कर इनका पुर्नभरण करा सकेगा।
25. टी.डी.एस., सरचार्ज तथा केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर लगाये जाने वाले अन्य करों के सम्बन्ध में स्रोत पर नियमानुसार कटौती की जायेगी, जिसका निर्धारित प्रमाण पत्र सेवाप्रदाता को उपलब्ध करा दिया जायेगा।
26. वाहन के किसी अनियमित/गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर अथवा निविदा की किसी भी शर्त के उल्लंघन किये जाने पर जमा धरोहर राशि जब्त करते हुये अनुबंध निरस्त कर दिया जायेगा।
27. मासिक आधार पर अनुबन्धित वाहनो का राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के कार्यों के अतिरिक्त वाहन फर्म द्वारा किसी अन्य उपयोग में लिये जाने पर जमा धरोहर राशि जब्त करते हुये अनुबंध निरस्त कर दिया जायेगा। उक्त के अभाव में फर्म पर रु. 1000/- की शास्ति प्रति वाहन प्रतिदिन अधिरोपित की जावेगी।
28. महाविद्यालय द्वारा निर्धारित अंतिम तिथी एवं समय के पश्चात् प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
29. जो निविदाएं निर्धारित निविदा प्रपत्र में प्रस्तुत नहीं की जायेगी उन पर विचार नहीं किया जायेगा।
30. मासिक वाहनो के अतिरिक्त वित्तीय निविदा प्रपत्र में उल्लेखित अन्य वाहन भिन्न-भिन्न श्रेणी/प्रकृति के होंगे एवं ऐसे विभिन्न माडल के वाहनो को समय पर उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी भी अनुबंधकर्ता की होगी।
31. मासिक आधार पर वाहन की दरें (एक माह में न्यूनतम 1500, कि.मी. चालन के आधार पर) प्रस्तुत की जायेगी। एक माह में उक्तानुसार आदेशित न्यूनतम परिचालन तक वाहन के चलने पर अनुमोदित राशि के अतिरिक्त कोई अन्य राशि अनुबंधकर्ता को देय नहीं होगी।
32. निर्धारित न्यूनतम मासिक परिचालन के पश्चात वाहन के अतिरिक्त परिचालन की दशा में संवेदक को प्रति किलोमीटर के आधार पर अनुमोदित दर से भुगतान देय होगा, जिसके लिये निविदादाता को न्यूनतम मासिक परिचालन के पश्चात् प्रति कि.मी परिचालन की दर पृथक से निविदा में अंकित करनी होगी।
33. अनुबंधित वाहन सामान्यतः सुबह 08.00 बजे से सांय 05.00 बजे तक रहेगा। विशेष परिस्थितियों में इसके पूर्व एवं पश्चात भी वाहन को कार्य में लिया जा सकता है तथा उसके लिये कोई अतिरिक्त राशि देय नहीं होगी।
34. महाविद्यालय द्वारा मासिक अनुबंध पर अनुबंधित वाहनो का आवश्यकता पडने पर जयपुर शहर के अतिरिक्त अन्य स्थानों के लिये भी उपयोग में लिया जा सकेगा। ऐसे वाहनो के महाविद्यालय के कार्य से जयपुर से बाहर जाने की दशा में कोई अतिरिक्त राशि देय नहीं होगी।
35. वाहन पर यदि कोई टोल-टैक्स, अर्न्तराज्यीय टैक्स इत्यादि भारित होता हैं, तो उसका भुगतान बिल के साथ रसीद प्रस्तुत करने पर ही देय होगा।
36. यदि दर संविदा धारक, दर संविदा के चालू रहने के दौरान किसी भी समय राज्य में किसी को दर संविदा कीमत से कम कीमत पर सेवाएं देने के लिए उसकी कीमत कोट करता/कम करता है तो उस दर संविदा के अधीन उपापन की विषय वस्तु के समस्त परिदान के लिए दर संविदा कीमत, कीमत कम करने या कोट करने की तारीख से स्वतः कम हो जायेगी और दर संविदा तदनुसार संशोधित की जायेगी।
37. निविदादाता को सभी मदों की दरें प्रस्तुत करनी होगी अन्यथा निविदा अपूर्ण मानते हुए निरस्त कर दी जायेगी।
38. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 की सभी शर्तें यथावत लागू होंगी।

राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर

पार्ट-ए : तकनीकी निविदा प्रपत्र (ऑनलाईन)

महाविद्यालय में किराये पर वाहन उपलब्ध कराने के कार्य लिए वार्षिक दर अनुबन्ध हेतु निविदा।

1.	ट्रेवल ऐजेन्सी का नाम एवं पता :-	
2.	ट्रेवल ऐजेन्सी का स्वरूप : व्यक्तिगत / साझेदारी / कम्पनी	
3.	ट्रेवल ऐजेन्सी का रजिस्ट्रेशन वर्ष एवं नं.	
4.	पेन कार्ड नम्बर एवं उसकी प्रति	
5.	ट्रेवल ऐजेन्सी के मुख्यालय एवं शाखाओं का स्थान व पता,	
6.	ट्रेवल्स ऐजेन्सी कार्यालय में उपलब्ध संचार व्यवस्था का विवरण (टेलीफोन, फैक्स, मोबाइल, इन्टरनेट)	
7.	ट्रेवल ऐजेन्सी के पास उपलब्ध गाड़ियों की संख्या:- 1. स्वयं के नाम (वाहनों के मेक व मॉडल का विवरण अंकित करें) 2. अन्य से अनुबंधित वाहन (अन्य से अनुबन्धित वाहनों के क्रम में रजिस्ट्रेशन एवं अनुबंध की फोटो कॉपी संलग्न करें)	
8.	ट्रेवल ऐजेन्सी के पास सरकारी विभागों, अर्द्धसरकारी / स्वायत्तशासी / विश्वविद्यालय को अनुबंध पर न्यूनतम 10 या अधिक वाहन उपलब्ध कराने का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अनुबन्धित वाहनों की संख्या, वाहन नम्बर, मॉडल एवं अन्य विभाग / संस्था से निष्पादित अनुबंध की प्रति संलग्न करें। (नोट: 5 वर्षों का कार्य अनुभव प्रमाण पत्रों की छाया प्रतियां संलग्न करना अनिवार्य होगा नहीं तो निविदा अपूर्ण मानते हुए निरस्त कर दी जायेगी।	
9.	ड्राइवर एवं ट्रेवल कर्मचारियों की संख्या, उनके नाम (ड्राइविंग लाइसेन्स की प्रति भी संलग्न करें)	
10.	टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट (नियमानुसार)	
11.	जमा बोली प्रतिभूति राशि का विवरण	
12.	टेण्डर फीस का विवरण	

राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय जयपुर
पार्ट-बी : वित्तीय निविदा प्रपत्र

महाविद्यालय में किराये पर वाहन उपलब्ध कराने के कार्य लिए वार्षिक दर अनुबन्ध हेतु निविदा।

1. मासिक आधार पर अनुबन्धित वाहनों की दरें

वाहन	वाहन निर्माण वर्ष	दर प्रतिमाह		निर्धारित कि.मी के अतिरिक्त रनिंग के लिए दर प्रति किमी	
		1500 कि.मी.			
		अकों में	शब्दों में	अकों में	शब्दों में
बस 52 सीटर					
बस 35 सीटर					
कार मध्यम आकार की (इण्डिगो इत्यादि) ए.सी.					
कार मध्यम आकार की (इण्डिगो इत्यादि) नॉन ए. सी.					
वैन नॉन ए.सी. (जाँच हेतु सैम्पल कलैक्शन के लिये)					

नोट:- 1. उक्त दरें सभी करों सहित होगी। उक्त दरों के अलावा फर्म को कोई अलग से भुगतान नहीं किया जायेगा।